न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
भेरुलाल बनाम भगवानलाल वगै.
प्रकरण संख्या – 72/2023 वाद
GCMS No. – 2023/362

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 72/2023 वाद
GCMS No. – 2023/362

भेरुलाल पुत्र ख्यालीलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–वादी

//बनाम//

1. भगवानलाल पुत्र गोरा जाति भील आयु वयस्क निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :– 1– श्री अनिल पाटीदार – अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक :– 04.04.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 01 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा लसडावन पटवार हल्का लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 408 की आराजी नम्बर 38 रकबा 0.5400 हैक्टेयर लगानी 2 रूपये 70 पैसा स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी पेश हैं।

2. वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात में वादी का 43/54 हक हिस्सा पश्चिमी दिशा का तथा प्रतिवादी नम्बर 1 का 11/54 हक हिस्सा पूर्वी दिशा का राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा हैं, इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने–अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने की वजह से लगान को लेकर व रकबे की कमी बेशी को लेकर आये दिन वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य विवाद होता [illegible] इसलिए वादी ने प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त आराजियात क[illegible] अनुसार, बटवाडा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स [illegible] रेकार्ड में दर्ज [illegible] वादी का 43/54 हक हिस्सा पश्चिमी दिशा का त[illegible] प्रतिवादी नम्बर 1 [illegible]/54 हक हिस्सा पूर्वी दिशा का मौके पर काबिज अनुसार, बटवारा कर अलग कराने का वादी अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:18:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

3. वाद प्रस्तुत कर निवेदन है की वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा लसड़ावन पटवार हल्का लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित वादग्रस्त आराजियात में वादी का 43/54 हक हिस्सा पश्चिमी दिशा का तथा प्रतिवादी नम्बर 1 का 11/54 हक हिस्सा पूर्वी दिशा का मौके पर काबिज अनुसार वादग्रस्त भूमि का बटवारा वाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 का हक हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील एवं सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही के आदेश दिये गये।

5. प्रकरण में साक्ष्य एवं बहस के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर दिनांक 16.08.2023 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये कि वाके मौजा लसड़ावन पटवार हल्का लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 408 की आराजी नम्बर 38 रकबा 0.5400 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा अनुसार एवं मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवारा किया जावें। वादी एवं प्रतिवादी का हक हिस्सा अलग–अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/267 दिनांक 19.02.2024 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

6. अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा लसड़ावन पटवार हल्का लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

1.– श्री भेरूलाल पुत्र ख्यालीलाल भील सा. फलवा खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
38/1	0.43	–
किता–1	कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर	

2.– श्री भगवानलाल पुत्र गोरा भील सा. देह खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
38/2	0.11	–
किता–1	कुल रकबा [illegible] हैक्टेयर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:18:43 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व [illegible] अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। [illegible] अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 89/2022 वाद
GCMS No. – 2022/293

भेरुलाल पुत्र ख्यालीलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–वादी

बनाम

1. भगवानलाल पुत्र गोरा जाति भील आयु वयस्क निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :– 1– श्री अनिल पाटीदार – अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक :– 04.04.2024

प्रकरण आज वादी की और से अधिवक्ता श्री अनिल पाटीदार की उपस्थित में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुई। प्रकरण में दिनांक 16.08.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर 1000/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया गया कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा लसड़ावन पटवार हल्का लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 408 की आराजी नम्बर 38 [illegible] भूमि का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में द[illegible] हिस्सा अनुसार एवं मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए मिट्स एण्ड [illegible] वादी एवं प्रतिवादी का हक हिस्सा अलग–अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे [illegible] पहुंच मार्ग सुनिश्चित करते हुए फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अ[illegible] पत्र क्रमांक राजस्व/2024/267 दिनांक 19.02.2024 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जो स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:18:43 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा लसड़ावन पटवार हल्का लसड़ावन

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
भेरुलाल बनाम भगवानलाल वगै.
प्रकरण संख्या - 72/2023 वाद
GCMS No. – 2023 / 362

1.– श्री भेरूलाल पुत्र ख्यालीलाल भील सा. फलवा खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
38 / 1	0.43	–
किता–1	कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर	

2.– श्री भगवानलाल पुत्र गोरा भील सा. देह खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
38 / 2	0.11	–
किता–1	कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर	

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आज तारीख 04.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:18:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner